

रजनीश सिंह @ सोनी

बनाम

उ.प्र. राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं. 1055 सन् 2025)

03 मार्च 2025

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता]

विचारणीय मुद्दा

यह मामला शिकायतकर्ता को शादी का झूठा वादा देकर उसके साथ बलात्कार करने के लिए अपीलकर्ता के अभियोजित किए जाने के दायित्व से संबंधित है; तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यता से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 384, 323, 504, 506 के तहत आरोप पत्र से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 – धारा 376, 384, 323, 504, 506 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – शादी के झूठे वादे के आधार पर 16 साल से अधिक समय तक शिकायतकर्ता का यौन शोषण/उत्पीड़न करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही – अपीलकर्ता पर धारा 376, 384, 323, 504, 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया – अपीलकर्ता ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग की – उच्च न्यायालय द्वारा खारिज – औचित्य:

धारित किया गया : यदि पीड़िता ने यौन संबंध बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है तो आरोपी बलात्कार के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है – शिकायतकर्ता के आरोप सुनियोजित कहानी प्रतीत होते हैं – शिकायतकर्ता, एक उच्च शिक्षित वयस्क महिला होने के नाते 16 वर्षों की अवधि में अपीलकर्ता के साथ बिना रोक-टोक के सहमति से अंतरंग यौन संबंध बनाती रही, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि संबंध में कभी भी बल या धोखे का तत्व नहीं था – यह नहीं कहा जा सकता है कि शादी के झूठे वादे के आधार पर शिकायतकर्ता का यौन शोषण/उत्पीड़न करने के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है – शिकायतकर्ता के आरोप सारवान विरोधाभासों से भरे हुए हैं और पहली नजर में अविश्वसनीय हैं – 16 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता ने कथित यौन शोषण के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी, जो अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किया गया, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि अपीलकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली है – इसके अलावा, एफआईआर में बनाए गए मामले के विपरीत, शिकायतकर्ता ने कई अवसरों पर खुद को अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में चित्रित किया है और इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, वे पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। – यौन संबंध के पहले कथित कृत्य से 16 साल का लंबा अंतराल, एफआईआर दर्ज होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तक डेढ़ दशक तक जारी संबंध यह विश्वास दिलाता है कि यह प्रेम संबंध/लिव इन रिलेशनशिप का स्पष्ट मामला है जो खराब हो गया है – कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ता के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना, कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग से कम नहीं होगा – आक्षेपित आदेश को खारिज कर दिया गया और अपास्त कर दिया गया – आक्षेपित एफआईआर और उसके तहत होने वाली कार्यवाही को खारिज कर दिया गया। [पैरा 21, 24, 25, 27, 35, 37, 39]

उद्धृत केस लॉ

महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3471; प्रशांत बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3375; दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य [2013] 6 एससीआर 544: (2013) 7 एससीसी 675; शिवशंकर बनाम कर्नाटक राज्य (2019) 18 एससीसी 204 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना; जबरन यौन संबंध; शादी का वादा; अश्लील वीडियो; गर्भपात कराना; अश्लील वीडियो/तस्वीरों को वायरल करने की धमकी; जबरन पैसे लेना; शादी का समझौता; दो वयस्कों के बीच सहमति से संबंध; डेढ़ दशक से अधिक समय तक प्रेम संबंध ; कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग ; झूठे वादे से सीधे तौर पर जुड़े शारीरिक संबंध; तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति का दूषण; शादी की गलत धारणा; गुप्त विवाह समारोह; बलात्कार और सहमति से संभोग के बीच अंतर; पति-पत्नी के रूप में साथ रहना; प्रत्यक्ष रूप से अविश्वसनीय आरोप।

वाद उद्धृत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला: आपराधिक अपील सं. 1055 सन् 2025 A482 सं 43177 सन् 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 24.04.2023 के निर्णय और आदेश से उद्धृत

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता: डॉ. पूर्वश मलकान, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रदीप कुमार यादव, विशाल ठाकरे, सुश्री अंजले कुमारी, सुश्री मंशु शर्मा, दिनेश सत्यपाल सहगल, आदित्य यादव, संजीव मल्होत्रा।
प्रत्यर्थागण की ओर से अधिवक्ता: अंकित गोयल, विकास बंसल, हर्षित सिंघल, नितिन मेश्राम, सौरभ सिंह, ऋषि राज सिंह, रणबीर सिंह यादव।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

निर्णय

न्यायमूर्ति मेहता

1. सुनवाई हुई।
2. अनुमति प्रदान की गई।
3. अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय¹ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जो कि आवेदन अन्तर्गत धारा 482 सं. 43177 सन् 2022 के तहत आवेदन है, जिसमें थाना बकेवर, जिला इटावा में भारतीय दंड संहिता, 1860² की धारा 376, 384, 323, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध सं. 269 सन् 2022 में आरोप पत्र से उत्पन्न आपराधिक मामला सं. 1246 सन् 2022 की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई थी।
4. वर्तमान अपील के निस्तारण के लिए प्रासंगिक और आवश्यक संक्षिप्त तथ्य नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।
5. सुश्री ए, प्रत्यर्थी सं. 2-शिकायतकर्ता³, ने अपीलकर्ता के विरुद्ध थाना बकेवर, जिला इटावा में दिनांक 5 जुलाई, 2022 को मुकदमा अपराध सं. 269 सन् 2022 में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि वह कुड़रिया गांव की निवासी है और एम.कॉम और बी.एड की डिग्री धारक है और 2008 से वह लखनऊ में एएफएस भेमोरा कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है।
6. यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त अपीलार्थी वर्ष 2006 में किसी समय रात्रि में शिकायतकर्ता के घर में घुस आया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। वह न तो चिल्ला सकी और न ही मदद के लिए पुकार सकी, क्योंकि अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया था, जिसके कारण घर में मौजूद उसके माता-पिता को घटना की भनक तक नहीं लग सकी। उसने अपीलकर्ता को चेतावनी दी कि वह घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बता देगी, जिस पर अपीलकर्ता ने माफी मांगी और उसे चुप रहने का अनुरोध किया तथा उसे शादी का आश्वासन दिया। इसलिए शिकायतकर्ता ने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई की।
7. अपीलकर्ता शुरू में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। बाद में, 2009 में, वह महाराजगंज जिले के धानी शाखा में भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हो गया। इस बीच अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठता बढ़ती गई। अपीलकर्ता ने एक बार शिकायतकर्ता को महाराजगंज बुलाया, जहां उसने बिना उसकी जानकारी के उसे ईएनओ में मिला हुआ कोई नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह अर्धचेतन हो गई। इसका फायदा उठाकर अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने न केवल इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, बल्कि बाद में होश में आने पर शिकायतकर्ता को दिखाया। समाज में बदनामी के डर से शिकायतकर्ता ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। इसके बाद शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई,

1 एतस्मिनपश्चात् उच्च न्यायालय

2 एतस्मिनपश्चात् भा.दं.सं.

3 संक्षेप में शिकायतकर्ता

जिसकी पुष्टि गर्भावस्था जांच किट से की गई। जब यह जानकारी अपीलकर्ता को मिली, तो उसने गर्भपात कराने के लिए पानी में कोई दवा मिलाकर उसे पिला दिया। चूंकि अपीलकर्ता लगातार अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल और धमका रहा था, इसलिए उसने गर्भपात के बारे में किसी को नहीं बताया।

8. शिकायतकर्ता पहले तो अपनी मर्जी से अपीलकर्ता से मिलने गई थी, लेकिन बाद में अपीलकर्ता ने अश्लील वीडियो/तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया। इसलिए वह उससे सिर्फ वीडियो लेने के उद्देश्य से मिलती थी ताकि उसे डिलीट कर सके। सन् 2015 में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को प्रतापगढ़ बुलाया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं तो वह वीडियो वायरल कर देगा।

9. इसके अलावा एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने कई मौकों पर शिकायतकर्ता से जबरन पैसे लिए। सन् 2011 में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से 94,000 रुपये का चेक लिया था, लेकिन उसे एक पैसा भी वापस नहीं किया। चूंकि अपीलकर्ता ने अपने पास मौजूद अंतरंग संबंधों के अश्लील वीडियो का उपयोग करके उसे धमकाया था, इसलिए उसने वर्ष 2006 से 2021 के बीच उसके साथ हुए उपरोक्त आपराधिक कृत्यों के बारे में किसी से शिकायत नहीं की।

10. वर्ष 2021 में नम्रता नाम की एक महिला अपीलकर्ता के जीवन में आई, जिस पर शिकायतकर्ता ने लखनऊ कमिश्नरेट में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, उसे इटावा थाने जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उसने 23 मार्च, 2022 को वन स्टॉप सेंटर, ललितपुर में अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसे शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच हुए एक समझौते के आधार पर बंद कर दिया गया, जिसमें वे दोनों एक-दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हुए। हालांकि, 22 अप्रैल, 2022 को अपीलकर्ता अपने वादे से मुकर गया और नम्रता से शादी कर ली। जब अपीलकर्ता के विवाह की बात शिकायतकर्ता को पता चली तो उसने तुरंत ही शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अवैधानिक कृत्यों और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों और अपने समुदाय के लोगों को दी। बाद में जब उसने पुलिस कार्रवाई करने का फैसला किया तो अपीलकर्ता ने अपने भाई अश्वनी और पिता राजबहादुर के साथ मिलकर उसके माता-पिता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। 1 मई, 2022 को अपीलकर्ता उसके माता-पिता की मौजूदगी में उसके घर में घुस आया और धमकी दी कि अगर उसने अपने द्वारा दर्ज कराए गए कानूनी मामलों को जारी रखा तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

11. उपरोक्त आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 313, 376, 384, 323, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 5 जुलाई, 2022 को एक एफआईआर⁴ दर्ज की गई और विवेचना शुरू की गई। लगभग इसी तरह के आरोप शिकायतकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973⁵ की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों में लगाए गए थे और इसके अलावा, उसने आगे कहा कि यह पता चलने पर कि अपीलकर्ता ने नम्रता के साथ संबंध बनाए हैं, उसने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद, नम्रता ने 22 अप्रैल, 2022 को अपीलकर्ता से शादी कर ली।

12. विवेचना पूरी होने के फलस्वरूप पुलिस ने धारा 173(2) दं.प्र.सं. के तहत दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 376, 384, 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं.-04, इटावा की अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अपराधों के लिए संज्ञान लिया तथा अपीलकर्ता को

4 एफआईआर सं. 269 सन् 2022

5 एतस्मिन्पश्चात् दं.प्र.सं.

सम्मन जारी किया। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक याचिका दायर कर आपराधिक मामला सं. 1246 सन् 2022 की कार्यवाही को रद्द करने की मांग उच्च न्यायालय में की। दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के आदेश द्वारा रद्द करने की याचिका खारिज की गई, जिसका इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा विरोध किया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से दलीलें : -

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि आक्षेपित एफआईआर और आरोपपत्र में वर्णित पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ता एक वयस्क शिक्षित लड़की है, जो अपने और अपीलकर्ता के बीच लगभग 16 वर्षों तक चले अंतरंग संबंधों के परिणामों से पूरी तरह अवगत थी। बार-बार अंतरंगता और यौन संबंध पूरी तरह से सहमति से बने थे और किसी झूठे वादे, धमकी, दबाव या जबरदस्ती के तहत स्थापित नहीं किए गए थे। अपीलकर्ता हमेशा शिकायतकर्ता से शादी करने का इरादा रखता था। इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच लंबे समय तक स्वैच्छिक संबंध/प्रेम संबंध के मामले को परोक्ष उद्देश्यों और मकसद के साथ जबरन यौन संबंध का रंग दिया गया है।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वास्तव में अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने अपने प्रेम संबंध के दौरान एक दूसरे के साथ विवाह की रस्में निभाई थीं, जो डेढ़ दशक से अधिक समय तक चलीं। हालांकि, रिश्ते में खटास आ गई, जिससे कलह शुरू हो गई और एफआईआर दर्ज हो गई। इस संबंध में उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को दिए गए 25 मई, 2022 के आवेदन का सहारा लिया और आग्रह किया कि उक्त आवेदन एफआईआर दर्ज होने से पहले दायर किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में अपनी वैवाहिक स्थिति का उल्लेख किया था। उसने शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति यानी अपीलकर्ता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक यौन संबंध का मामला है और इसलिए, उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के बराबर है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी की ओर से दलीलें :-

16. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को शादी का झूठा आश्वासन देकर उसका विश्वास जीत लिया और इस वादे के आधार पर उसने उसका यौन शोषण किया, जबकि वास्तव में उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लगभग 15 वर्षों की अवधि में बार-बार जबरन यौन संबंध बनाने के बाद, अपीलकर्ता ने उसे छोड़ दिया और दूसरी महिला से शादी कर ली।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के अंतरंग वीडियो और तस्वीरें भी रिकॉर्ड की थीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय का निर्णय उचित था और इसलिए, वर्तमान अपील को खारिज करने की मांग की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

विश्लेषण और निष्कर्ष : -

18. हमने बार में प्रस्तुत किए गए दलीलों पर गहनता से विचार किया है और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

19. यह आरोप कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका गर्भपात करवाया, खण्डित हो जाता है क्योंकि विवेचना अधिकारी ने 29 सितम्बर, 2022 को धारा 173(2) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय धारा 313 भा.दं.सं. को हटा दिया है। इसके अतिरिक्त, विवेचना अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अन्य सह-आरोपियों, अर्थात् अपीलकर्ता के रिश्तेदारों, जिन्हें शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोपित किया था, की संलिप्तता किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं हुई थी और इस प्रकार, केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

20. इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता पर शिकायतकर्ता को विवाह का झूठा वादा देकर उसके साथ बलात्कार करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं।

21. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता, जो एक उच्च शिक्षित महिला है, उस समय वयस्क थी जब अपीलकर्ता के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच यौन संबंध का पहला कृत्य वर्ष 2006 में हुआ था और वह भी उसके अपने घर में। हालांकि, उस समय, शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों सहित किसी से भी कोई शिकायत नहीं की थी कि अपीलकर्ता ने भविष्य में उससे शादी करने के स्पष्ट वादे के आधार पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। यह उजागर करने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में स्पष्ट रूप से यह मामला उठाया है कि उसके और अपीलकर्ता के बीच यौन संबंध का पहला कृत्य (हालांकि शिकायतकर्ता के अनुसार जबरन) उसके अपने घर में हुआ था जहां उसके माता-पिता भी मौजूद थे। जिस तरह से यह घटना घटी है, उससे शिकायतकर्ता का मामला गंभीर संदेह के घेरे में आता है। यह बात पचाना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता, जो एक अच्छी तरह से शिक्षित वयस्क लड़की है, उसके साथ उसके ही घर में एक बाहरी व्यक्ति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाए गए, जहाँ उसके माता-पिता मौजूद थे और फिर भी, उन्हें इस घटना की भनक तक नहीं लगी। इस प्रकार, शिकायतकर्ता के आरोप एक सुनियोजित कहानी लगते हैं और इससे आगे कुछ नहीं।

22. पहली घटना के लगभग 16 साल बाद, एक बहुत ही विलम्बित एफआईआर में, शिकायतकर्ता ने पहली बार आरोप लगाया कि अपीलकर्ता, जो उसके साथ दोस्ताना संबंध रखता था, ने वर्ष 2006 में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। इसके अलावा, उसने यह भी कहा कि हालांकि उसने शुरू में इस कृत्य का विरोध किया और मामले की रिपोर्ट पुलिस को करने का इरादा किया, लेकिन उसने अपीलकर्ता के आश्वासन पर भरोसा करके अपना मन बदल लिया कि वह उससे प्यार करता है और अगर वह राज नहीं बताएगी, तो वह उससे शादी कर लेगा। इस आड़ में, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध स्थापित करना जारी रखा।

23. बेशक, अपीलकर्ता को वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में नौकरी मिल गई और वह एक अलग शहर में तैनात था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब भी अपीलकर्ता कुदरिया गांव आता था, तो वह शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता था। हालांकि, उसने यह स्पष्ट या विस्तृत रूप से नहीं बताया कि व्यभिचार के ये कृत्य कब और कहां हुए। वर्ष 2008 में, शिकायतकर्ता को केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर के रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में नियुक्ति मिली, जबकि अपीलकर्ता को वर्ष 2009 में भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में नौकरी मिल गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2009 में, अपीलकर्ता ने उसे शहर फरिदा, आनंद नगर में अपने निवास पर बुलाया, जहाँ उसने उसके पेय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बाद, उसका यौन शोषण किया और जब वह नशे की हालत में थी, तो उसने उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कीं। इसके बाद, उसने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजे, जिसमें धमकी दी गई कि अगर वह उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाती है तो वह उसके वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर देगा।

24. यह तर्कसंगत नहीं लगता कि जब दोनों पक्षों के बीच अंतरंग संबंध तीन साल से अधिक समय से बिना किसी बाधा के जारी थे, तो अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाने की परेशानी क्यों उठानी पड़ी।

25. यह विश्वास करना कठिन है कि शिकायतकर्ता, एक उच्च शिक्षित और अच्छी स्थिति वाली वयस्क महिला होने के बावजूद, लगभग 16 वर्षों की अवधि तक अपीलकर्ता की मांगों के आगे झुकती रही, बिना किसी विरोध के कि अपीलकर्ता शादी के झूठे वादे के बहाने उसका यौन शोषण कर रहा था। 16 साल की लंबी अवधि, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच यौन संबंध बेरोकटोक जारी रहे, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि रिश्ते में कभी भी बल या धोखे का तत्व नहीं था। शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता अपनी-अपनी नौकरियों के लिए अलग-अलग जगहों पर तैनात थे। कुछ अवसरों पर अपीलकर्ता शिकायतकर्ता से मिलने उसके घर जाता था जबकि अन्य अवसरों पर अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को अपने घर बुलाया जाता था, जहाँ व्यभिचार के ये कृत्य वर्ष 2020/2021 तक बेरोकटोक जारी रहे। शिकायतकर्ता के इस कथन को स्वीकार करना लगभग असंभव है कि 16 वर्षों की पूरी अवधि के दौरान उसने अपीलकर्ता को इस धारणा के तहत बार-बार यौन संबंध बनाने की अनुमति दी कि आरोपी किसी दिन शादी के अपने वादे पर अमल करेगा।

26. **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए, शारीरिक संबंध सीधे तौर पर किए गए झूठे वादे से जुड़ा होना चाहिए और इसे अन्य परिस्थितियों या विचार से योग्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां महिला जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखती है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शारीरिक संबंध पूरी तरह से आरोपी द्वारा उससे शादी करने के कथित वादे के कारण था।

27. निष्कर्ष में, न्यायालय ने माना कि जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता कि शारीरिक संबंध केवल विवाह के वादे के कारण था और किसी अन्य विचार से प्रभावित नहीं था, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति का उल्लंघन हुआ था। यह आगे माना गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि आरोपी द्वारा शुरू में शिकायतकर्ता से विवाह का झूठा वादा किया गया था, लेकिन यह तथ्य कि संबंध नौ वर्षों तक जारी रहा, शिकायतकर्ता की इस दलील को अविश्वसनीय बना देगा कि इन सभी वर्षों के लिए उसकी सहमति इस तथ्य की गलत धारणा के तहत थी कि आरोपी उससे विवाह करेगा।

28. **प्रशांत बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में आरोपी से मिलना जारी रखेगी या उसके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखेगी या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29. उपरोक्त उदाहरणों की कसौटी पर मामले के तथ्यों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता, एक उच्च शिक्षित वयस्क महिला होने के नाते, 16 वर्षों की अवधि में अपीलकर्ता के साथ सहमति से अंतरंग यौन संबंध बनाए रखती थी। किसी समय, संबंध खराब हो गए, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। कोई भी समझदार व्यक्ति इस कथन को स्वीकार नहीं करेगा कि शिकायतकर्ता ने केवल विवाह की गलतफहमी के तहत अभियुक्त को 16 वर्षों की अवधि में उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी।

30. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2006 के बाद से, शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता अलग-अलग शहरों में रह रहे थे। शिकायतकर्ता एक शिक्षित महिला है और उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था जो उसे अभियुक्त के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने से रोक सकता था यदि उसे लगता कि यौन संबंध दबाव में थे या शादी के झूठे आश्वासन के तहत स्थापित किए जा रहे थे। कई मौकों पर उसने खुद को अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में भी पेश किया, जिससे यह आरोप खारिज हो गया कि अपीलकर्ता का इरादा रिश्ते की शुरुआत से ही उसे धोखा देने का था। हम इस तथ्य से अनजान नहीं रह सकते कि यह ज्यादातर शिकायतकर्ता ही अपीलकर्ता से मिलने के लिए उसकी पोस्टिंग की जगह पर जाती थी। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच संबंध बिना किसी धोखे या गलतफहमी के अस्तित्व के सहमति से थे।

31. इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा वन स्टॉप सेंटर, ललितपुर में 23 मार्च, 2022 को दायर किए गए आवेदन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह 2006 से अपीलकर्ता के साथ सहमति से संबंध में थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब उसने प्रस्ताव दिया कि वे शादी कर लें और साथ रहें, तो अपीलकर्ता ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट की। अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई होती तो इस घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। हालाँकि, यह तभी हुआ जब शिकायतकर्ता को पता चला कि अपीलकर्ता किसी अन्य महिला से शादी कर रहा है, उसकी शादी को रोकने के प्रयास में, उसने वन स्टॉप सेंटर में उपरोक्त शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता के समान ही दोषी है और इसलिए, उसकी शादी को रोका जाना चाहिए।

32. इसके अलावा, धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसे वर्ष 2020-2021 में अपीलकर्ता और नम्रता के बीच संबंधों के बारे में पता चला। इस प्रकार, एक बार जब शिकायतकर्ता को पता चला कि अपीलकर्ता ने उसके साथ संबंध तोड़ दिए हैं और किसी अन्य महिला के साथ संबंध में है, तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करने से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था।

33. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने खुद ही यह मामला स्थापित किया है कि उसके और अपीलकर्ता के बीच एक गुप्त विवाह समारोह हुआ था। इसलिए, हमारी राय में, भले ही शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे, जिसके दौरान उन्होंने अनौपचारिक प्रकृति के विवाह की रस्में भी निभाईं।

34. यह बात आम है कि बलात्कार और सहमति से संभोग के बीच अंतर होता है। **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य**, के मामले में इस न्यायालय ने मात्र वादा तोड़ने और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर किया और माना कि अभियुक्त तभी उत्तरदायी होगा जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाले कि उसके इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं और उसके इरादे गुप्त हैं। प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“21. सहमति व्यक्त या निहित, बलपूर्वक या गुमराह, स्वेच्छा से या धोखे से प्राप्त की जा सकती है। सहमति एक तर्कपूर्ण कार्य है, जिसमें विचार-विमर्श होता है, मन एक तराजू की तरह दोनों पक्षों के अच्छे और बुरे को तौलता है। बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है और इस तरह के मामले में, अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था, या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाला धोखाधड़ी या छल के दायरे में आता है। केवल वादा तोड़ने और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर है। इस प्रकार, अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी द्वारा प्रारंभिक चरण में शादी का झूठा वादा किया गया था; और क्या सहमति यौन भोग की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री आरोपी के प्रति अपने प्यार और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा गलत बयानी के कारण, या जहां अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण, जिन्हें वह पहले से नहीं देख सकता था, या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, ऐसा करने का पूरा इरादा होने के बावजूद, उससे विवाह करने में असमर्थ था। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को बलात्कार के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त का इरादा दुर्भावनापूर्ण था, और उसके गुप्त उद्देश्य थे।

...

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जब सबसे अच्छे इरादे रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा न करना, ऐसे कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्यों से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, हमेशा तथ्य की गलत धारणा के बराबर नहीं होता है। "तथ्य की गलत धारणा" शब्द के अर्थ में आने के लिए, तथ्य का तत्काल प्रासंगिक होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में धारा 90 भा.दं.सं. की सहायता नहीं ली जा सकती है, ताकि लड़की के कृत्य को पूरी तरह से माफ किया जा सके और दूसरे पर आपराधिक दायित्व तय किया जा सके, जब तक कि अदालत इस तथ्य के बारे में आश्वस्त न हो जाए कि शुरू से ही, आरोपी का उससे शादी करने का कभी इरादा नहीं था।

(प्रभाव वर्धित)

35. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि पीड़िता ने यौन संबंध बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है, तो अभियुक्त बलात्कार के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना है कि अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

36. इस न्यायालय ने **शिवशंकर बनाम कर्नाटक राज्य**, के मामले में इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था कि आठ वर्षों तक चले रिश्ते के दौरान यौन संबंध को 'बलात्कार' के रूप में मानना मुश्किल है, खासकर तब जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया हो कि वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे। प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"4. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कायम रखना मुश्किल है, जिसने संभवतः शिकायतकर्ता से शादी का झूठा वादा किया हो। हालांकि, आठ वर्षों तक चले रिश्ते के दौरान यौन संबंध को "बलात्कार" के रूप में मानना मुश्किल है, खासकर तब जब शिकायतकर्ता ने खुद आरोप लगाया हो कि वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे।"

(प्रभाव वर्धित)

37. इस प्रकार, किसी भी तरह से, इस न्यायालय को यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें अपीलकर्ता पर विवाह के झूठे वादे के आधार पर शिकायतकर्ता का यौन शोषण/उत्पीड़न करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। शिकायतकर्ता के आरोप सारवान विरोधाभासों से भरे हुए हैं और पहली नज़र में अविश्वसनीय हैं। 16 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि अपीलकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। इसके अलावा, एफआईआर में दर्ज मामले के पूरी तरह से विरोधाभास में, शिकायतकर्ता ने कई मौकों पर खुद को अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में पेश किया है और इस प्रकार, जाहिर है, वे पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। इसके अतिरिक्त, यौन संभोग के पहले कथित कृत्य और एफआईआर दर्ज होने तक डेढ़ दशक तक जारी संबंधों के बीच 16 वर्षों का लंबा अंतराल हमें आश्चर्य करता है कि यह प्रेम संबंध/लिव इन रिलेशनशिप का स्पष्ट मामला है जो खराब हो गया है।

38. इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि धारा 376, 384, 323, 504 और 506 भा.दं.सं. के तहत कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ता के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा।

39. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के आदेश को रद्द किया जाता है और उसे अपास्त किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित एफआईआर सं. 269 सन् 2022 और उसके तहत की जाने वाली सभी कार्यवाही को भी रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

40. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

41. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

वाद का परिणाम: अपील स्वीकृत।

हेडनोट्स द्वारा : निधि जैन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।